



कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-31.07.2024

विषय:-"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप डीपी एक्ट के मामले में अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 19000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

आज दिनांक 31-07-2024 को पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में मानिट्रिंग सेल व थाना फूलपुर की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना फूलपुर में पंजीकृत मु0अ0सं 358/19 धारा 498ए,304बी भादवि व ¼ डीपी एक्ट में अभियुक्तगण ओमप्रकाश पुत्र जगनारायन, जगनारायन पुत्र स्व0 मक्कर, राजकुमारी देवी उर्फ कुमारी देवी पत्नी जगनारायण निवासी फूलपुर थाना फूलपुर वाराणसी को मा0न्या0 एसजे प्रथम द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 304 बी भादवि में आजीवन कारावास, धारा 498ए भादवि में 02 वर्ष कारावास व 2000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 3 डीपी एक्ट में 05 वर्ष कारावास व 15000/- रुपये अर्थ दण्ड धारा 4 डीपी एक्ट में 02 वर्ष कारावास व 2000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर विभिन्न धाराओ में 10 दिन, 1माह, 10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

सोशल मीडिया सेल

पुलिस उपायुक्त

***गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी**